



## कर्मचारी भविष्य निधि संगठन

(श्रम मंत्रालय, भारत सरकार)

**Employees' Provident Fund Organisation**

(Ministry of Labour, Govt. Of India)

मुख्य कार्यालय/ Head Office

भविष्य निधि भवन, 14-भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली-110066

Bhavishya Nidhi Bhawan, 14-Bhikaji Cama Place, New Delhi-110066

संख्या : आर.आर.सी.II/6(2)11/गुज./

6491

दिनांक:

22 जुलाई 2011

सेवा में,

क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त,  
सभी क्षेत्रीय / उप क्षेत्रीय कार्यालय

विषय: नुकसानी हटाने के लिए अनुरोध अग्रेषित करने के संबंध में ।

महोदय,

यह देखा गया है कि क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त नुकसानी हटाने के सभी मामलों में स्थापना के अनुरोध को उस पर अपने विचार /सिफारिशों दिए बिना ही केवल अग्रेषित कर देते हैं ।

केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त द्वारा स्थापना के अनुरोध को अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार जांच करके तथा अपनी विशेष सिफारिशों के साथ अग्रेषित करने हेतु निर्देश दिए गए हैं ।

भवदीय,

(डॉ. ए.के.दुबे)  
निदेशक (वसूली)

प्रतिलिपि: अपर केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त (सभी अंचल), उपर्युक्त निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित करने के अनुरोध सहित :